LL.B III YEAR IInd SEMESTER
FAMILY LAW (MUSLIM LAW)
UNIT 2

Dower (Mehar) Definition, Concept and kind of dower (proper dower- Mehar-e-Mishl), (prompt dower-Muajjal), and (Deffered dower – Muwajjal)

Confirmation of dower and remission of dower by the wife in case of unpaid dower.

Divorce and Talak- Difference from of talak (Talak ahsan, Talak hasan, Talak-ul-bidat) when talak becomes irrevocable divorce and the dissolution of Muslim Marriage Act,1939.

मेहर

इस्लाम के उदय के पूर्व विवाह के समय पत्नी का पिता मेहर की धनराशि प्राप्त करता था विवाह के बाद पत्नी पति की संपत्ति मानी जाती थी किंतु इस्लाम के उदय के पश्चात मेहर पत्नी को देय होता है।

मेहर का अर्थः-

मुस्लिम विवाह के अंतर्गत पुरुष (वर) स्त्री (वधू) को कुछ धन या संपत्ति आदि विवाह के प्रतिफल स्वरूप में देता है यही धन या संपत्ति मेहर होती है।

मेहर पत्नी के शरीर का पति द्वारा अकेले उपभोग के प्रतिफल स्वरूप समझा जाता है यद्यपि पत्नी के प्रति सम्मान का प्रतीक मुस्लिम विधि द्वारा आरोपित पति के ऊपर यह एक दायित्व है।

परिभाषाः-

1. **अमीर अली के अनुसारः-**

   मेहर पत्नी के अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकर है।

2. **मुल्ला के अनुसारः-**

   मेहर एक ऐसी धनराशि है या संपत्ति है जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी हकदार है।

3. **तय्यब अली के अनुसारः-**

   मेहर वह धनराशि है जो विवाह के बाद पति द्वारा पत्नी को पक्षकारों के करार या कानून के अनुसार देय होता है वह या तो तत्कालिक होता है या अस्थगित होता है।

4. **विल्सन के अनुसारः-**

   मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर (बदला) है।

मेहर का उद्देश्य

1. पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व आरोपित करना।
2. पति द्वारा तलाक के मनमाने उपयोग पर एक अवरोध रखना।

मेहर का वर्गीकरण (Kind of Dower)

मेहर को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है –

A. निश्चित मेहर (मेहर-इ-मुसम्मा)
B. उचित मेहर (मेहर-इ-मिस्ल)

उपर्युक्त प्रकार के मेहर निश्चित मेहर को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है।

1. मुअज्जल (तात्कालिक) मेहर
2. मुवज्जल (अस्थगित) मेहर

A. निश्चित मेहर

यदि विवाह संविदा (निकाह नामा) में मेहर की धनराशि का उल्लेख हो तो ऐसा मेहर निश्चित मेहर होता है।

परंतु यदि किसी अवयस्क के विवाह की संविदा उसके संरक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है तो मेहर की धनराशि संरक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है जो ऐसे अवयस्क पर बाध्यकारी होगी।

मेहर की धनराशि 10 दिरहम से कम नहीं हो सकती हैं अधिकतम की सीमा नहीं है । जबकि सिया विधि के अंतर्गत न्यूनतम धन राशि की सीमा नहीं है अधिकतम सीमा 500 दिरहम की है।

निश्चित मेहर दो प्रकार का होता है -

1. **मुअज्जल (तात्कालिक) मेहर:-**

ये मेहर मांग पर देय होता है इसकी मांग पत्नी किसी भी समय कर सकती हैं यहां तक कि विवाह संभोग के पूर्व भी कर सकती है।

2. **मुवज्जल (अस्थगित) मेहर:-**

यह मृत्यु या विवाह-विच्छेद द्वारा विवाह के समाप्त हो जाने पर देय होता है इसलिए पत्नी मुवज्जल मेहर की मांग विवाह के विघटन के पूर्व सामान्यतया नहीं कर सकती।

रेहाना खातून
बनाम (1841)
इक्तिदारुद्दीन

के वाद में निर्णीत किया गया कि मुवज्जल मेहर का अनुपात रिवाज द्वारा नियमित होता है और रिवाज के अभाव में पक्षों की हैसियत और मेहर की कुल राशि द्वारा।

नसीरुद्दीन शाह
बनाम (1886)
अमतल बीबी

के वाद में निर्णीत किया गया कि सुन्नी विधि के अंतर्गत मेहर के विषय में करार नामा और रिवाज के मौन होने पर आधा भाग मुअज्जल और आधा भाग मुवज्जल माना जाता है।

शिया विधि के अंतर्गत मेहर की पूरी धनराशि के मुअज्जल होने कि पूर्व धारणा कि जाएगी।

B. उचित मेहर (मेहर-इ-मिस्ल):-

यदि मेहर की धनराशि विवाह के समय निश्चित न कि गई हो तो पत्नी उचित मेहर की अधिकारिणी होती है।

हमीरा बीबी
बनाम (1916)
जुबैदा बीबी

के वाद में प्रिवी कौंसिल ने अवधारित किया था कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर विवाह की आवश्यक शर्त है और यह सीमा तक है कि यदि विवाह के समय उसका उल्लेख नहीं किया गया है तो भी उस का निर्णय निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

यह नियम शिया विधि में भी प्रचलित है जिसमें मेहर की अधिकतम सीमा 500 दिरहम है।

मेहर की राशि में वृद्धि या कमी

विवाह के पश्चात किसी भी समय पति मेहर की राशि में वृद्धि कर सकता है उसी प्रकार पत्नी विवाह के पश्चात अपनी स्वतंत्र सम्मति से मेहर की आंशिक या पूर्ण धनराशि छोड़ सकती है।

परंतु यह छूट लिखित होनी चाहिए ना कि मौके मौखिक।

मेहर का भुगतान ना किए जाने पर पत्नी का अधिकार

मेहर का भुगतान ना किए जाने पर पत्नी को निम्न अधिकार आपने प्राप्त हैं-

1. **समागम से इंकार करना:-**

अब्दुल कादिर
बनाम (1886)
सलीमा

के वाद में न्यायमूर्ति महमूद ने कहा कि मुअज्जल मेहर के भुगतान न करने का प्रभाव यह होता है कि पत्नी समागम करने या पति के साथ रहने से इंकार कर सकती है।

2. **ऋण के रूप में मेहर का अधिकार:-**

हमीरा बीबी
बनाम
जुबैदा बीबी

के वाद में प्रिवी कौंसिल ने यह निर्णीत किया कि मेहर ऋण की श्रेणी में आता है और पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा अन्य ऋण-दाताओ के साथ-साथ पति की संपत्ति में भुगतान पाने की अधिकारिणी होती है।

3. **मेहर के एवज में पति की सम्पदा पर काबिज रहने का विधवा का अधिकार:-**

मैना बीबी
बनाम (1924)
चौधरी वकील अहमद

के वाद में प्रिवी कौंसिल ने कहा कि मुस्लिम विधि विधवा को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अपने देय मेहर के भुगतान के समय तक कब्जा बनाए रखे । परंतु विधवा इस सम्पत्ती को दान करने की कोई शक्ति नहीं रखती थी।

तलाक (Divorce)

अर्थ:-

अरबी में तलाक शब्द का अर्थ है निराकरण करना या नामंजूर करना , परंतु मुस्लिम विधि के अंतर्गत इसका अर्थ वैवाहिक बंधन से मुक्त करना है।

मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह-विच्छेद निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है –

1. ईश्वरीय कृत्य द्वारा (पति या पत्नी की मृत्यु होने पर)
2. पक्षकारों के कृत्य द्वारा (विवाह-विच्छेद)

पक्षकारों के कृत्य द्वारा (विवाह-विच्छेद)

न्यायेत्तर विवाह-विच्छेद			न्यायिक विवाह विच्छेद
पति के द्वारा	पत्नी के द्वारा	पारस्परिक सहमति द्वारा	(मुस्लिम विवाह विच्छेद
i. तलाक	प्रत्यायोजित तलाक	i. खुला	अधिनियम 1939 के
ii. इला		ii. मुबारत	अंतर्गत)
iii. जिहार			

तलाक

1) तलाक-उल-सुन्नत
2) तलाक-उल-विद्दत

तलाक-उल-सुन्नत

1) तलाक-ए-अहसान
2) तलाक-ए-हसन

तलाक-ए-अहसान (अहसन):-

इसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ अर्थात अहसन ढंग से दिया गया तलाक सबसे उत्तम होता है इसकी निम्न शर्तें हैं –

1. तलाक की केवल ही घोषणा पति द्वारा हो।
2. यदि विवाह समागम द्वारा पूर्ण हो चुका है तो घोषणा तुहर काल (पवित्रता की अवधि) में हो।
3. इस घोषणा के पश्चात पवित्रता की अवधि में पति को समागम नहीं करना चाहिए।
4. यदि विवाह पश्चात संभोग नहीं हुआ तो तलाक की घोषणा रजस्वला की अवस्था में की जा सकती है।

5. यदि स्त्री रजस्वला न होती हो तो यह घोषणा समागम के पश्चात भी की जा सकती है।

जब तक इद्दत काल समाप्त न हो तलाक पूर्ण या प्रभावी नहीं होता है इद्दत काल में पारस्परिक उत्तराधिकार प्राप्त करने का पक्षकारों का अधिकार बना रहता है और तलाक पूर्ण हो जाने पर यदि पक्षकार चाहें तो वे एक दूसरे से भी विवाह पुनः कर सकते हैं।

<u>तलाक-ए-हसनः-</u>

'हसन' शब्द का अर्थ होता है "अच्छा"।

हसन रूप में उच्चारण किया गया तलाक 'अहसन' रूप में उच्चारण किए गए तलाक से कम अनुमोदित है इसकी निम्न शर्ते हैं –

1. तलाक की घोषणा लगातार तीन तुहरों में होनी चाहिए।
2. यदि स्त्री रजस्वला हो तो तीन घोषणाएं तीन क्रमिक तुहर काल (पवित्रता की अवधि) में हो।
3. यदि स्त्री रजस्वला न होती हो तो तीनों घोषणाएं लगातार तीस-तीस दिन के अंतराल के बाद होनी चाहिए।
4. तुहर की इन तीन अवधियों में संभोग नहीं होना चाहिए।

ऐसा तलाक तीसरी घोषणा के पश्चात अप्रतिसंहरणीय हो जाता है और तृतीय घोषणा के साथ इद्दत काल प्रारंभ हो जाता है यदि कोई पक्षकार इद्दत काल में मर जाए तो दूसरा पक्षकार उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं होगा।

<u>तलाक-उल-विद्दत</u>

इसे तलाक-उल-बैन व तीन तलाक भी कहा जाता है यद्यपि इसे पापमय समझा जाता था परंतु यह प्रथा प्रचलित थी इसके लिए निम्न शर्तों की पूर्ति आवश्यक होती है –

1. एक ही तुहर काल के दौरान किए गए तीन उच्चारण चाहे ये उच्चारण एक ही वाक्य में हो जैसे मैं तुम्हें तीन बार तलाक देता हूं अथवा चाहे ये उच्चारण तीन वाक्यों में हो जैसे मैं तुम्हें तलाक देता हूं , मैं तुम्हें तलाक देता हूं , मैं तुम्हें तलाक देता हूं।
2. एक ही तुहर काल के दौरान दिया गया एक ही उच्चारण जिससे अपरिवर्तनीय (रद्द ना हो सकने वाला) विवाह-विच्छेद करने का आशय साफ प्रकट हो जैसे- मैं तुम्हें अप्रतिसंहरणीय रूप में तलाक देता हूं।

<u>तलाक कब अप्रतिसंहरणीय हो जाता है</u>

1. तलाक अहसन में इद्दत की अवधि की समाप्ति के बाद।
2. तलाक हसन में तीसरी घोषणा के बाद।
3. तलाक-उल-विद्दत में जैसे ही इसकी घोषणा की जाती है तलाक आपतित धारणीय हो जाता है।

<u>तलाक उल विद्दत की वर्तमान स्थिति</u>

तलाक-उल-विद्दत (तीन तलाक़) को वर्तमान में विधि विरुद्ध घोषित किया गया है।

<u>शायरा बानो</u>
<u>बनाम (2017)</u>
<u>भारत संघ</u>

के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि तीन तलाक कुरान का आवश्यक अंग नहीं है इसलिए यह अविधिमान्य है और भारत संघ को निर्देशित किया कि उपर्युक्त के संदर्भ में उचित विधि बनाकर तीन तलाक को विनियमित किया जाए।

उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में भारत की विधायिका (संसद) ने तीन-तलाक को (तलाक-उल-विद्दत) विनियमित करने हेतु मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकारो का संरक्षण) अधिनियम 2019 पारित किया।

अतः उक्त अधिनियम के अंतर्गत तलाक-उल- विद्दत को आपराधिक कृत्य बना दिया गया है।

शिया व सुन्नी विधि में तलाक में भिन्नता

शिया व सुन्नी विधि में तलाक में निम्न असमानतायें हैं

	सुन्नी	शिया
1.	लिखित व मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है।	तलाक केवल मौखिक रूप से ही दिया जा सकता है।
2.	साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।	दो साक्ष्यों की उपस्थिति आवश्यक है।
3.	आश्रय की आवश्यकता नहीं है अर्थात नशे , दबाव व मजाक में दिया गया तलाक विधिमान्य है।	जबकि शिया विधि में ऐसा तलाक अविधिमान्य है।
4.	सुन्नी विधि में तलाक -उल- विद्दत (तीन तलाक) विधि मान्य है।	शिया विधि में तलाक -उल-विद्दत (तीन तलाक) को मान्य नहीं किया गया है।

मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम1939

मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम 1939 के लागू होने के पूर्व पत्नी केवल दो आधारों पर भारत में विवाह-विच्छेद प्राप्त कर सकती थी –

1) पति की नपुंसकता
2) लिअन (पर पुरुष गमन का झूठा आरोप)

मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम 1939 ने पूर्व मुस्लिम विधि में क्रांतिकारी परिवर्तन किया अतः वर्तमान अधिनियम की धारा -2 के अनुसार निम्नलिखित में एक या कई आधारों पर मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्री अपने विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने की हकदार होगी –

1) पति की अनुपस्थितिः-

यदि पति 4 वर्ष से लापता रहे तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहिता स्त्री अपने विवाह -विच्छेद की डिक्री पाने की हकदार हो जाती है।

2) पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थः-

यदि पति 2 साल तक पत्नी के भरण पोषण के प्रबंध करने में उपेक्षा करे या असफल रहे तो भी मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहिता स्त्री विवाह-विच्छेद के डिक्री के हकदार हो जाती है।

3) पति को कारावासः-

पति को 7 वर्ष या अधिक अवधि का कारावास दिया गया हो तो पत्नी न्यायालय से विवाह -विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है परन्तु ऐसा दण्डादेश अन्तिम होना चाहिए।

4) दांपत्य से दायित्वों के पालन में असमर्थताः-

बिना किसी उचित कारण (अध्ययन, व्यापार, बीमारी या कोई अन्य कारण) के 3 वर्षों तक वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहा है तो पत्नी विवाह -विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है।

5) **पति की नपुंसकता:-**

पति की नपुंसकता के आधार पर पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद का वाद प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की गई है यदि पति विवाह के समय नपुंसक हो और वाद में भी बना रहे तो पत्नी विवाह -विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है।

6) **पति का पागलपन:-**

यदि पति 2 साल या उससे अधिक समय से पागल हो या कुष्ठ रोग या उग्ररतिज रोग से पीड़ित हो तो पत्नी विवाह-विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है।

7) **पत्नी द्वारा विवाह की अस्वीकृति-**

यदि किसी मुस्लिम स्त्री का विवाह उसके पिता या संरक्षक द्वारा 15 वर्ष से कम आयु में किया गया था तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व ऐसी स्त्री ने उस विवाह का विघटन कर दिया हो परंतु इस आधार पर विवाह-विच्छेद तभी हो सकता है की विवाह पश्चात संभोग ना हुआ हो।

8) **पति की निर्दयता:-**

यदि पति अपनी पत्नी के साथ निर्दयता का व्यवहार करता है जैसे -क्रूरता, व्यभिचारिता, पत्नी को दुराचरण के लिए बाध्य करना , पत्नी को धर्म पालन से रोकना , तो पत्नी विवाह -विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है।

9) **मुस्लिम विधि द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य आधार-**

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसे आधार जो मुस्लिम विधि में विधिमान्य है पत्नी विवाह -विच्छेद का वाद ला सकती है इसके अंतर्गत इला , जिहार, खुला, मुबारत और तफवीज द्वारा विवाह-विच्छेद आते हैं।

धर्म त्याग का विवाह पर प्रभाव

मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम 1939 के लागू होने के पूर्व मुस्लिम पति -पत्नी में से किसी एक के इस्लाम धर्म के परित्याग कर देने मात्र से उनका वैवाहिक संबंध तुरंत पूर्णतया विघटित हो जाता था किंतु इस अधिनियम के पश्चात अब पत्नी द्वारा इस्लाम धर्म के त्याग से विवाह स्वत स्वतः विघटित नहीं होगा यह प्रावधान उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4में किया गया है।

धर्म त्याग का विवाह पर प्रभाव के संबंध में दो नियम हैं –

1) पति द्वारा इस्लाम धर्म का परित्याग विवाह संबंध को पूर्णतया तुरंत विघटित कर देगा।
2) किसी विवाहित मुस्लिम स्त्री का इस्लाम धर्म का परित्याग विवाह को स्वयं विघटित नहीं करेगा किंतु अधिनियम की धारा-2 में वर्णित किसी आधार पर वह विवाह विच्छेद का वाद दायर कर सकती है।

किंतु यदि स्त्री मूलता किसी अन्य धर्म की थी और इस्लाम ग्रहण करके विवाह किया हो और अब पुनः पहले के धर्म में सम्परिवर्तित हो गई हो तो विवाह स्वता समाप्त हो जाएगा।